Mail

कार्यालयः- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

क्रमांकः- 8159 दिनांकः- 19.03.2021

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक GEN/XV/42/2020/943 दिनांक 18.03.2021 की पालना में अलवर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीगण को यह निर्देशित किया जाता है कि नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के Positive बढ रहे प्रकरणों को देखते हुए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक न्यायालय कक्ष, कार्यालय, इजलास के दरवाजों के हैण्डल, कुर्सियों, टेबल, दरवाजों, रेलिंग पर प्रतिदिन कम से कम 02 बार 1 % हाइपोक्लोराइड से पौंछा लगवायें।

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पीठासीन अधिकारी स्वयं व उसका प्रत्येक स्टॉफ बिना मास्क के नहीं रहें और मास्क लगाते वक्त विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि मास्क से नाक व मुँह दोनों ढके हुये हों।

न्यायालय व कार्यालय में आने वाले अधिवक्तागण, पक्षकारान भी अपने नाक और मुँह को ढकते हुए मास्क लगाये हुये ही आयें, ऐसा भी सुनिश्चित किया जावे।

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और एक साथ इजलास में भीड इकट्ठी न हो।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रत्येक न्यायालय के बाहर सैनेटाइजर नहीं रखे हुए हैं। इसके लिए प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इजलास के बाहर पैडेस्टल सैनेटाइजर रखे जावें, ताकि न्यायालय में प्रवेश करने वाला व्यक्ति सैनेटाइजर से अपने हाथ धोकर ही न्यायालय में प्रवेश करे।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के यह भी ध्यान में लाया गया है कि कुछ कर्मचारीगण, जो अस्वस्थ होते हैं, वे अपनी अस्वस्थता की जानकारी पीठासीन अधिकारी को नहीं देते और खाँसी, जुकाम होने के बावजूद न्यायालय में आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों को खाँसी, जुकाम और अन्य अस्वस्थता हो, वे नियमानुसार अवकाश पर रहें।

कर्मचारीगण के लिए भी पर्याप्त सैनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था करें।

सैनेटाइजर, हाइपोक्लोराइड व मास्क का खर्चा अपने कार्यालय व्यय से संबंधित न्यायालय वहन करें और नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) को फैलने से रोकने के लिए सभी लोग समुचित प्रयास करें।

(Sd) 19/3/21

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर (राज.)

क्रमांकः- 8160 – 8236 दिनांकः- 19.03.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पालनार्थ प्रेषित की जावेः-

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, अलवर न्यायक्षेत्र।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को अलवर न्यायक्षेत्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(Sd) 19/3/21

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलवर (राज.)